सुनवाई बढ़ी | जज को सीधे फोन लगाने पर अपराधिक अवमानना याचिका पर समय अभाव के कारण सुनवाई बढी

विधायक पाठक को व्यक्तिगत उपस्थित की छूट से हाईकोर्ट का इंकार

जबलपुर। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ के समक्ष आपराधिक अवमानना मामले की सुनवाई के दौरान भाजपा विधायक संजय पाठक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए। याचिका की सुनवाई के दौरान विधायक संजय पाठक की तरफ से व्यक्तिगत उपस्थिति की छूट प्राप्त करने युगलपीठ ने आग्रह किया गया। युगल पीठ ने आग्रह को अस्वीकार करते हुए समय अभाव के कारण अगली सुनवाई 15 जुलाई को निर्धारित की है। गौरतलब है कि कटनी निवासी आशुतोष दीक्षित की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि विधायक संजय पाठक से संबंधित कंपनी के खिलाफ अवैध उत्खनन के मामले में हाईकोर्ट जस्टिस विशाल मिश्रा ने 1 सितम्बर 2025 को सुनवाई से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट जस्टिस ने अपने आदेश में कहा था कि विधायक ने

उससे फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया। जिसके कारण वह सुनवाई से खुद को अगल कर रहे है। जस्टिस विशाल मिश्रा ने निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। उन्होंने इस पूरे प्रकरण को प्रशासनिक स्तर पर चीफ जस्टिस के समक्ष भेजने का निर्देश भी दिया था। याचिका में कहा गया था कि विधायक के यह कृत्य न्यायपालिका की छवि को धूमिल करने तथा गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है। न्यायिक कार्य में हस्तक्षेप करना आपराधिक अवमानना की श्रेणी में आता है। हाईकोर्ट ने विगत 2 अप्रैल को याचिका का निराकरण करते हुए मामले को संज्ञान में लेते हुए भाजपा विधायक के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के निर्देश जारी किये थे। अवमानना याचिका पर हुई पिछली सुनवाई के दौरान विधायक संजय पाठक की तरफ से पेश किये गये हलफनामा में गलती स्वीकार करते हुए बिना शर्त माफी मांगी थी। युगलपीठ ने हलफनामा को रिकॉर्ड में लेते हुए विधायक को व्यक्तिगत रूप से तलब किया था। आदेश का परिपालन करते हुए संजय पाठक व्यक्तिगत रूप से युगलपीठ के समक्ष उपस्थित हुए। उनकी तरफ से गलती स्वीकार करते हुए बिना शर्त माफी मांगी। युगलपीठ ने सुनवाई के बाद भाजपा विधायक को अगली सुनवाई के दौरान भी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के आदेश जारी किये थे। याचिका पर गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान युगलपीठ ने समय अभाव के कारण याचिका पर अगली सुनवाई 15 जुलाई को निर्धारित करते हुए विधायक संजय पाठक को व्यक्ति रूप से उपस्थित रहने के आदेश जारी किये है।

मानहानि मामले में राहुल गांधी को डॉक्यूमेंट्स पेश करने मिली मोहलत

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मानहानि के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट भोपाल के विशेष मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन तथा दायर परिवार को निरस्त करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। याचिका पर गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान अनावेदक व प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान की तरफ से जस्टिस पी के अग्रवाल की एकलपीठ को बताया गया कि प्रकरण में जरूरी डॉक्यूमेंट्स और कोर्ट की ऑर्डर शीट्स पेश नहीं की गयी है। याचिकाकर्ता की तरफ से डॉक्यूमेंट्स और ऑर्डर शीट्स पेश करने पर सहमति व्यक्त की। एकलपीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई 17 जुलाई को निर्धारित की है।गौरतलब है कि भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय सिंह के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एमपी-एमएलए कोर्ट भोपाल में मानहानि का परिवाद दायर किया था। परिवाद में कहा गया था कि 2018 में राहुल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उस समय झाबुआ में हुई चुनावी सभा में राहुल गांधी ने एक भाषण के दौरान कथित तौर पर पनामा पेपर्स लीक का जिक्र करते हुए शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे कार्तिकेय का नाम लिया था। राहुल गांधी ने तुलना करते हुए कहा था कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ पर कार्रवाई हुई, लेकिन मध्यप्रदेश में ऐसा नहीं हुआ। इस बयान को लेकर कार्तिकेय सिंह चौहान ने इसे अपनी छवि को नुकसान पहुंचाने बताया था। विशेष मजिस्ट्रेट द्वारा परिवाद की सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को समन जारी किया गया था। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने विशेष न्यायालय के द्वारा जारी समन व लंबित परिवाद को निरस्त की राहत चाहते हुए हाईकोर्ट की शरण ली थी। हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने अनावेदक शिकायतकर्ता का पक्ष सुनने के लिए उन्हें नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने निर्देश जारी किये थे। शिकायतकर्ता की तरफ से गुरुवार को उक्त जानकारी एकलपीठ के समक्ष पेश की गयी। याचिकाकर्ता की तरफ से डॉक्यूमेंट्स और ऑर्डर शीट्स पेज उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया। याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा तथा अधिवक्ता अजय गुप्ता ने पैरवी की।

बैंक मैनेजर ने हड़प लिया 13 तोला गोल्ड

जबलपुर। लार्डगंज थाना अंतर्गत यादव कॉलोनी स्थित आईआईएफएल गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी ब्रांच की शाखा से एक ड्राइवर को 12,28,424 रुपये का गोल्ड लोन लेना उस वक्त महंगा पड़ जब लोन चुकाने के बावजूद भी बैंक मैनेजर ने गबन करते हुए उसके 13 तोला 4 ग्राम के गिरवी रखे जेवर हड़प लिए । पुलिस ने रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है ।

पुलिस के मुताबिक कमल सिंह पिता विष्णु प्रसाद राय 42 वर्ष निवासी स्टार सिटी गली न.7 नक्षत्र नगर, माढ़ोताल का ड्राइवर है। सन् 2013 से 2020 तक उसने अरिहत ज्वेलर्स के पास से अलग-अलग समय पर सोने के जेवर पत्नी के लिए खरीदा था। फरवरी 2025 में उस ने एक ट्रक खरीदा था उस समय पैसों की जरुरत पड़ने पर पत्नी संगीता राय के कुल वजन 13 तोला 4 ग्राम लगभग सोने के जेवर को आईआई एफ एल गोल्ड लोन बैंक लेबर चौक के पास यादव कॉलोनी में गिरवी रखकर बैंक से कुल 12,28, 424 रूपये वर्ष 2025

में लिया था। लोन की राशि उसके बैंक एक्सेस बैंक के खाता में आई थी। गोल्ड लोन का पैसा जमा कर दिया था। 1 दिसम्बर 2025 को वे बैंक गया था जहां बैंक मैनेजर प्रतीक सेठ से मिला था । गोल्ड लोन मैनेजर प्रतीक सेठ ने उसका फोन मांगा और कहा कि दो ओटीपी आयेगे। मैनेजर ने ओटीपी मिलाकर ड्राज से लिफाफा निकाल कर उसके सोने के जेवरों को उसे दिखाया और कागज के लिफाफा में रख कर उसे दे दिया था। शाम करीब 6.10 बजे के आसपास बैंक मैनेजर बैंक से बाहर निकलकर बाहर से उसे फोन लगाकर बाहर बुलाया वें बैंक के बाहर निकलकर देखा तो बैंक मैनेजर नहीं दिखा। बैंक मैनेजर प्रतीक सेठ ने बैंक के बाजू वाली फोटोकॉपी की दुकान के गेट में खड़े होकर आवाज दिया वे उनके पास गया तो बोला कि बैंक का पैसा कम्प्यूटर में एक्सेप्ट नहीं हुआ 24 घण्टे बाद होगा पैसा कम्प्यूटर में नहीं दिख रहा है सोना मुझे दे दो कल आकर ले जाना तो उसने जेवरों को मैनेजर को दे दिया था। इसके बाद जेवरों से भरा बैंक मैनेजर अपनी गाड़ी में रखकर अंदर चला गया था ।

सर्वर डाउन होने का देता रहा झांसा

पीड़ित के मुताबिक जब उसने दूसरे दिन अपने मोबाईल से प्रतीक सेठ के मोबाईल पर फोन कर पूछा कि मैं अपना जेवर लेने आ जाऊं तो प्रतीक सेठ ने बोला अभी कम्प्यूटर में नहीं दिख रहा है शाम को देखकर बताऊंगा। 3 दिसम्बर 25 को दोपहर 12.30 बजे के आसपास बैंक में गया तो बैंक मैनेजर प्रतीक सेठ ने बोला कि अभी सर्वर डाउन है। इस प्रकार झांसा देते हुए मैनेजर ने उसके सोने के सभी जेवर हड़प लिए ।

हिट एंड रन : कार ने रौंदा, युवक की मौत

जबलपुर। गोरा बाजार थाना बिलहरी में गुरूवार दोपहर एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी कार चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया।

पुलिस के मुताबिक बरेला निवासी आशीष श्रीवास्तव पिता स्व. प्रभुदयाल श्रीवास्तव निवासी बरेला का एक निजी कंपनी में डिलीवरी बॉय के रूप में काम करता था। दोपहर में वह अपने काम के सिलसिले में ही बाइक से निकला था, वह दोपहर साढ़े तीन बजे जैसे ही बिलहरी में पहुंचा तभी एक अज्ञात काले रंग की कार के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए बाइक को सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक बाइक सहित सड़क पर दूर जा गिरा। दुर्घटना के तुरंत बाद आरोपी चालक कार की रफ्तार बढ़ाकर मौके से भाग निकला। हादसे में आशीष की मौके पर ही मौत हो गई । गोरा बाजार पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फरार कार और उसके चालक की पहचान के लिए बिलहरी क्षेत्र और घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए तो पता चला कि घटना के वक्त इलाके की बिजली सप्लाई बंद थी जिसके चलते अधिकांश सीसीटीव्ही कैमरे बंद पड़े थे। हालांकि पुलिस का कहना है कि जल्द ही कार के नंबर का पता लगाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

स्टेशन से लापता हुए व्यक्ति को जीआरपी ने परिवार से मिलाया

जबलपुर, नवभारत। जबलपुर मदन महल जीआरपी ने एक गुमशुदा 32 वर्षीय व्यक्ति को बीते दिन खोज निकाला और उसे जीआरपी के सुपुर्द कर दिया गया। इस दौरान गुमशुदा हुए अपने भाई को देखकर उसका बड़ा भाई काफी भावुक हो उठा और जीआरपी चौकी में रोने लगा। बताया जा रहा है कि गुम हुआ व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर है मामले में जानकारी देते हुए जीआरपी चौकी मदन महल पुलिस ने बताया कि बीते 6 मई को संपतिया सोयम अपने पति और पुत्र के साथ भोपाल से जबलपुर का सफर कर रहे थे तभी मदन महल स्टेशन से उनका बेटा कल से अचानक कहीं गायब हो गया जिसकी रिपोर्ट ने जीआरपी

मदन महल चौकी में की गई वहीं मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक रेलवे जबलपुर द्वारा एक टीम गठित की गई और गुम हुए व्यक्ति की तलाश की गई जहां गुम व्यक्ति पुलिस को एकता चौक पर मिला जिसे तुरंत जीआरपी चौकी मदन महल लाया गया और फिर परिजनों को सूचित किया गया जहां अपने गुम हुए भाई से दोबारा मिलकर बड़ा भाई सुकम भावुक हो उठे और जीआरपी मदन महल पुलिस को धन्यवाद किया।

घरवालो से नाराज़ होकर ट्रेन में बैठी लड़की, जबलपुर में उतारा

पटना सुपरफास्ट ट्रेन के जनरल कोच में एक लड़की घरों वालों की डांट से नाराज होकर जबलपुर की यात्रा करते पाई गई। गुमसुम अवस्था में बैठी लड़की को यह भी पता नहीं था कि उसे कहां जाना है। ट्रेन नंबर 12142 के जबलपुर स्टेशन पर पहुंचने पर जीआरपी के एएसआई बीसी उद्दे और प्रधान आरक्षक आनंद यादव कोच में पहुंचे और लड़की को उतारा। जीआरपी थाने में पूछताछ के बाद परिजनों को सूचना दी गई। परिजनों ने बताया कि लड़की के गुम होने की सूचना उन्होंने परसतुआ थाना जिला रोहतास में दर्ज कराई है। जीआरपी की सूचना के बाद परसतुआ थाने का स्टाफ और परिजन जबलपुर पहुंचे जिसके बाद लड़की को उनके सुपुर्द किया गया। इसी तरह ग्राम पड़री तलाई तला निवास मण्डला का युवक भोपाल से जबलपुर की यात्रा कर रहा था, जो पिछले दिनों ट्रेन से मदन महल स्टेशन पर उतर गया था। जीआरपी ने युवक को खोजकर परिजनों से मिलाया।

उपयंत्री ने टीआई को प्राथमिकी दर्ज करने लिखा पत्र

बिना अनुमति के राइजिंग मेन लाइन से लिया अवैध नल कनेक्शन

नवभारत,जबलपुर। शहर की जल व्यवस्था को दुरुस्त रखने और संसाधनों की चोरी रोकने के लिए नगर निगम ने सख्त कदम उठाया है। नगर निगम के जल विभाग ने राइजिंग मेन पाइप लाइन से किए जा रहे अवैध कनेक्शनों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी है।

जल विभाग के उपयंत्री द्वारा घमापुर क्षेत्र में रात्रि कालीन निरीक्षण किया गया, जहां पाया गया कि नर्मदा टी-स्टाल के पास बिना किसी अनुमति के राइजिंग मेन लाइन से अवैध रूप से कनेक्शन लिये गए हैं। इसको

लेकर बेलबाग थाना प्रभारी को प्राथमिकी दर्ज करने हेतु पत्र लिखा गया है, ताकि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वालों को दंण्ड मिल सके।

SCAN TO KNOW MORE

LOW DOWN PAYMENT STARTING FROM ₹8,999$

Instant cashback up to ₹10 000$ on EMI

HDFC BANK | SBI card Credit Card

Powered by pine labs

TOLL FREE 1800 266 0018

INDIA'S FIRST 5 YEAR WARRANTY* *Conditions apply

Also available on: Flipkart amazon.in

Hero MotoCorp Ltd. Regd. Office: The Grand Plaza, Plot No.2, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj Phase - II, New Delhi - 110070, India. | CIN: L35911DL1984PLC017354 | For further information, contact your nearest Hero MotoCorp authorised outlet or visit us on www.HeroMotoCorp.com. World's no 1 disclaimer - Highest sales for any 2 Wheeler Corporate Entity in the world for Calendar Year 2025 Data source: DNA Consult & Advisory's report Assessment of Global Two Wheelers Market(CY25). *Fastest compared to all air-cooled engine motorcycles in 125cc segment as per internal testing applicable for ABS/CBS variant. **66 km/l with E5 petrol under standard tests; mileage may vary. Accessories and features shown may not be a part of standard fitment. Always wear a helmet while riding a two-wheeler. As per cumulative dispatch numbers till August 2025. ^Offer amount and combination of offer may vary for model/variant and states and it is applicable on select models only, for limited time period or till stock lasts. $Finance offer is at the sole discretion of the Financier, subject to its respective T&Cs. Available at select dealerships. T&C apply. #Ex-Showroom price of Xtreme 125 IBS variant in Madhya Pradesh.

अधिकृत डीलर: जबलपुर: सुपर हीरो (साउथ सिविल लाईन्स) 9289922350, सुदर्शन हीरो (नेपियर टॉउन 9289922353, मदन महल 9111100352, दमोह नाका 9111100344), बालाघाट: जायसवाल हीरो 9289922572, छिन्दवाड़ा: सत्कार हीरो 9289922805, मण्डला: शुभा हीरो 9289922600, नरसिंहपुर: रचना हीरो 9289922377, रीवा: बद्रिका हीरो (टी.पी. नगर 9752263333, इलाहाबाद रोड 9171705391), सतना: स्टार हीरो 9289922356, बद्रिका हीरो 9289923108, शहडोल: विभोर हीरो 9289923109, गुप्ता हीरो 9289922370, कटनी: हर्ष हीरो 9289923166, वैढ़न: कुन्दन हीरो 9289922743, बजरंग मोटर्स 7354559000, सीधी: राजेन्द्र मोटर्स 9289923113, सिवनी: सुदर्शन हीरो 9821745435, चौरई: श्रीजी ऑटोमोबाईल्स, 9821749342, दमोह: इण्डिया ऑटो हीरो 9289922573, एसोशिएट डीलर: पथरिया: एसएस ऑटोमोबाइल्स, 9691147568, सेमरिया: आकाश मोटर्स 9893918358, अमरवाड़ा: अर्पित ऑटोमोबाईल्स 7428595943, ब्यौहारी: श्री राम ऑटोमोबाईल्स 9424683246, बुड़हार: श्री ऑटोमोबाईल्स 9425181937, डिंडोरी: अवधिया ऑटो 8959777333, नैनपुर: स्वास्तिक मोटर्स 9893746172, गाडरवाड़ा: शेखर व्हीकल्स 9425467409, जुन्नारदेव: लक्ष्मी नारायण मोटर्स 8109164000, कोतमा: सिटी ऑटोमोबाईल्स 7987519546, मैहर: वैशाली ऑटोमोबाईल्स 9424741022, मउगंज: सेंगर मोटर्स 9425185568, लांझी: श्रीखण्ड ऑटोमोबाईल्स 7428390262, पांडुरना: जय भवानी ऑटोमोबाईल्स 7428390263, परासिया: श्री महावीर ऑटोमोबाईल्स 7354460008, रामपुर बघेलान: साँई ऑटोमोबाईल्स 9993224296, रांझी: गुरुकृपा ऑटो 9424728007, सिहोरा: बाईक प्वांट 9826802730, उमरिया: गुप्ता ऑटो एजेन्सी 9285505630, वारासिवनी: रुसिया मोटर्स 9425822392, मुलताई: शारदा श्री मोटर्स 9522870001, चितरंगी: ओम मोटर्स 9685416118, बरगवां: बजरंग मोटर्स 9926183734, बहरी: श्याम एजेंसी 9981238133, बरही: अजीत ऑटोमोबाइल्स 7566217410, 9131739086, अनूपपुर: बाल गोविंद ऑटोव्हील्स 9770531138, 9770744844, नागोद: चौरसिया ऑटोमोबाइल्स 9926365074, देवसर: श्री राम मोटर्स 9425086868 अमरपाटन : रिशु ऑटोमोबाइल्स 9893829195, स्लीमनाबाद: अनिल मोटर्स 9425466101, रामनगर: विजय ऑटोमोबाईल्स 9893252517, धनोरा: भवानी व्हीकल्स 9424950703, सरई: यश मोटर्स, 9981718853, सालीचौका: अभिषेक इंटरप्राइजेज 8989434793, मड़वास: ओम मोटर्स, 9009066959, मझौली: न्यू कुन्दन ऑटोमोबाइल्स, 9584628677, खटखरी: खटखरी ऑटोमोबाइल, 9617241112, गुढ़: विंध्य मोटर्स, 9229072020, कोठी: लक्ष्मी ऑटोमोबाइल्स, 7987308294, 83058099514, उंचेहरा: अंकुर ऑटोमोबाइल्स, 9589176355, रामपुर नैकिन (सीधी): लक्ष्मी जी ऑटोमोबाइल्स, 9406782277, दुधमनिया सिंगरौली: राधा कृष्ण मोटर्स, 7000995137, गढ़: अंबे मोटर्स, 9144881695, बीरसिंहपुर: तनु ऑटोमोबाइल्स, 9425886424, देवतालाब: वर्षा मोटर्स, 9424622310, गुन्नौर: मधुबन मोटर्स, 8959050501, Hero Sure (Buy, Sell, Exchange Any Used Two Wheeler) छिन्दवाड़ा: सत्कार हीरो 9289922805, नरसिंहपुर: रचना हीरो 8815396340, दमोह : इंडिया ऑटो सेंटर 8839230079.

SAATCHI & SAATCHI

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57